आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.- 31 of 2017

Dist.:-Patna

PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

Ramvirajan Singh - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar. - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner :
For the OP :

ORDER

26.07.2018

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग उपस्थित। प्रशाखा पदाधिकारी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग उपस्थित। अपीलार्थी के विरुद्ध कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने का आरोप है।

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बताया गया कि विधि संबंधी कार्य करने का प्रभार श्री रामविराजन सिंह, सहायक, विधि शाखा–11, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना का था अतएव श्री सिंह का दायित्व होता था कि विभागीय ज्ञापांक– 289 दिनांक– 25.01.2012 के आलोक में प्रशाखा– 05 से संबंधित सभी संचिकाओं की सूची तैयार कर, सूची सहित संचिका, सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में उपलब्ध/प्राप्त करवा देते किन्तु श्री सिंह के द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

सभी पक्षों को सुना एवं अभिलेख का परीक्षण किया। श्री सिंह द्वारा कई पत्र कार्यालय को लिखकर प्रशाखा पदाधिकारी, उप सचिव एवं निदेशक पशुपालन से अनुरोध किया गया कि प्रशाखा–5 को संचिकाओं का प्रभार लेने हेतु निदेश दिया जाय। लेकिन विभाग के किसी पदाधिकारी द्वारा कोई निदेश नहीं देने पर अपीलार्थी दोषी कैसे हो सकता है। अपीलार्थी को दिया गया दंड अनुपातिक (Proportionate) नहीं है।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग (अनुशासनिक प्राधिकार) को निदेश दिया जाता है कि मामले में पुर्नविचार कर Fresh Order पारित करें।

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।